

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
प्रशासनिक आदेश सं०-117/2026, दिनांकित अप्रैल, 28, 2026

माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त माह मई-2026 से माह अक्टूबर-2026 तक अवकाश के दिनों में अभियुक्तगण का रिमाण्ड आदि आवश्यक कार्य करने हेतु निम्न अधिकारीगण को नामित किया जाता है :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	रिमाण्ड अवधि
1-	श्रीमती सोनाली पूनिया, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कस्टम, लखनऊ।	दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 31.05.2026 तक
2-	श्री भरत सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-25, लखनऊ।	दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक
3-	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार-प्रथम, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-26, लखनऊ।	दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 31.07.2026 तक
4-	श्री सुमित चौधरी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-28, लखनऊ।	दिनांक 01.08.2026 से दिनांक 31.08.2026 तक
5-	श्री शैलेश कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, लखनऊ।	दिनांक 01.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक
6-	श्री अतुल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, लखनऊ।	दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 31.10.2026 तक

सभी संबंधित सूचित हों।

यदि उक्त अवधि में कोई रिमाण्ड मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाता है तो वह किसी अन्य मजिस्ट्रेट की सहमति रिमाण्ड ड्युटी करने हेतु प्राप्त करेगा।

रिमाण्ड ड्युटी निष्पवादित करने वाले पीठासीन अधिकारीगण द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड कार्य एवं अतिआवश्यक, आरोप पत्रों इत्यादि से संबंधित अन्य न्यायिक कार्य भी किये जायेंगे।

दिनांक 28.04.2026

(आशीष कुमार राय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

प्रतिलिपि :- माननीय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, लखनऊ बार एसोसियेशन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष, सेंट्रल बार एसोसियेशन, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित दाण्डिक अधिकारीगण।
- 4- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, अभियोजन, लखनऊ।

दिनांक 28.04.2026

(आशीष कुमार राय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

संशोधित प्रशासनिक आदेश सं०-236/2026, दिनांकित सितम्बर 02, 2026,

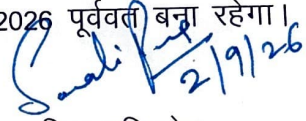
माह सितम्बर-2026 में दिनांक 01.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक अवकाश के दिनों में अभियुक्तों की रिमाण्ड किये जाने हेतु प्रशासनिक आदेश संख्या-117/2026, दिनांकित 28.04.2026 के द्वारा **श्री शैलेश कुमार सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, लखनऊ की ड्यूटी लगायी गयी थी, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अधिसूचना के अनुपालन में **श्री शैलेश कुमार सिंह**, द्वारा सिविल जज, जू०डि०, के न्यायालय में पदभार ग्रहण कर लिया गया तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, लखनऊ वर्तमान में रिक्त हो गया है। चूंकि माह सितम्बर-2026 के अवकाश के दिनों में रिमाण्ड ड्यूटी किये जाने हेतु **श्री बलवन्त कुमार भारती**, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-31, लखनऊ द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी है। उपरोक्त परिस्थितियों में माननीय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त माह सितम्बर-2026 में दिनांक 02.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक अवकाश के दिनों में अभियुक्तों की रिमाण्ड किये जाने हेतु **श्री शैलेश कुमार सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, लखनऊ के स्थान पर **श्री बलवन्त कुमार भारती**, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-31, लखनऊ को नामित किया जाता है।

सभी संबंधित सूचित हों।

यदि उक्त अवधि में कोई रिमाण्ड मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाता है तो वह किसी अन्य मजिस्ट्रेट की सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु प्राप्त करेगा।

रिमाण्ड ड्यूटी निष्पपादित करने वाले पीठासीन अधिकारीगण द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड कार्य एवं अतिआवश्यक, आरोप पत्रों इत्यादि से संबंधित अन्य न्यायिक कार्य भी किये जायेंगे।

शेष प्रशासनिक आदेश संख्या-117/2026, दिनांकित 28.04.2026 पूर्ववत् बना रहेगा।

 2/9/26

दिनांक 02.09.2026

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।